

Ref-LTF/ SE/ 2025-26/

Date: March 11, 2026

To,

**BSE Limited**  
**Phiroze Jeejeebhoy Towers**  
**Dalal Street**  
**Mumbai- 400001**

**National Stock Exchange of India Ltd.**  
**Exchange Plaza, C-1, Block G,**  
**Bandra Kurla Complex,**  
**Bandra (E), Mumbai - 400 051**

Ref. Code: 532783. Scrip ID: LTFOODS

Subject: Copies of Newspaper Publication - Postal Ballot

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper extracts in relation to the Postal Ballot Notice of the Company which was published today i.e. March 11, 2026 in the following newspapers:

- 1) The Financial Express; and
- 2) Jansatta.

Kindly take the same on record.

Thanking you.  
Yours truly,

For **LT Foods Limited**

Monika Chawla Jaggia  
**Company Secretary**  
Membership No. F5150  
Encl: a/a

Our Trusted Brands



The FINEST

**BHARAT ELECTRICITY SUMMIT 2026**  
POWERING A CLEAN FUTURE

UNDER THE PATRONAGE OF  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF POWER

# Bharat Electricity Summit 2026

## Global Exhibition and Conference

19-22 March, 2026 | Yashobhoomi, Dwarka, New Delhi

India's premier global platform for the power and electricity sector

25,000+  
Exhibition attendees

500+  
Exhibiting companies

1,000+  
Conference delegates

300+  
Conference speakers

50+  
Conference sessions



**Shri Narendra Modi**  
Hon'ble Prime Minister

Register Now at [www.bharatelectricitysummit.com](http://www.bharatelectricitysummit.com) | Follow us on: [in](#) [f](#) [@](#) [X](#) [v](#)

# SC reiterates support for UCC

ANANTHAKRISHNAN G  
New Delhi, March 10

**BACKING THE CASE** for a Uniform Civil Code (UCC) in the country, the Supreme Court said Tuesday it is the "most effective answer" to address provisions in the Shariat law of 1937 that allegedly discriminate against Muslim women, including in matters of inheritance.

The bench of Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and R Mahadevan said securing a UCC should be left to "the wisdom of the legislature" rather than the court stepping in to declare the provisions unlawful and creating an "unnecessary void".



"The most effective answer... is the Uniform Civil Code," the CJ said as the bench heard a plea challenging provisions of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, which the petitioners said discriminated against Muslim women in matters of succession, etc.

Justice Bagchi said, "Until and unless we can create, through our judicial fiat, an equal strata in respect of these asymmetric property rights, including inheritance rights, to strike and declare the personal law as ultra vires will create unnecessary void. And in such a situation it may be better to defer to the wisdom of the legislature to bring in one of the fundamental Directive Principles of State Policy, that's a Uniform Civil Code. And this court has already recommended a UCC for the country."

Appearing for petitioners Poulomi Pavini Shukla and Nyaya Naari Foundation, Advocate Prashant Bhushan said the provisions discriminate against

Muslim women by denying them equal property rights like their male co-religionists.

At the very outset, the CJ asked whether the court striking it down would not create a vacuum. "What is the vacuum created then? What is the solution?" he asked.

Bhushan said the Indian Succession Act can apply in such a situation and referred to the Supreme Court striking down instant triple talaq as unconstitutional in the case of Shayara Bano v Union of India (2017).

To the CJ's query whether it will not create a "complete vacuum," Bhushan said it will not.

Justice Bagchi said that even in Shayara Bano, the judges had

taken different approaches. Justice R F Nariman's view was that the 1937 Act "is statutory recognition of the pre-existing personal law". Chief Justice of India J S Khehar, however, "did not agree with that" and held that "even if it is Muslim personal law protected in terms of Narasu Appa Mali - State of Bombay v Narasu Appa Mali (1951) - case, it will be violative (of Article 14), not being an essential religious practice".

"If we apply that ratio either way, suppose we apply the test of Justice Nariman and hold that the 1937 Act is violative of Article 14, it is underlined by the personal law which continues to survive under Article 372," Justice Bagchi said.

# CEC faces 'go back' slogans in Bengal

**CHIEF ELECTION COMMISSIONER** Gyanesh Kumar faced protests with a group of people raising 'go back' slogans and showing black flags to him during his visit to Dakshineswar Kali Temple near Kolkata on Tuesday morning.

A similar protest over alleged arbitrary deletions in the post-SIR electoral rolls in the state was held outside the Netaji Sub-

has Chandra Bose International Airport upon his arrival in Kolkata on Sunday night.

He had faced the 'go back' slogans and was shown black flags on Monday morning when he visited the Kalighat Temple in the southern part of the city.

Despite the protests outside the Dakshineswar Kali Temple, Kumar continued with his scheduled programmes.

Addressing a press conference in Kolkata, he assured that no eligible voter's name would be removed from the electoral rolls, and vowed to conduct violence-free and fair elections in the state. The CEC is on a visit to the state to review poll preparedness and held meetings with political parties and officials on Monday ahead of the assembly elections. **PTI**

## FROM THE FRONT PAGE

# Elbers quits as IndiGo CEO

"AS PER OUR conversation, due to personal reasons, I herewith submit my resignation from the position of CEO of IndiGo with effect from March 10. I would request that notice period may be waived off," he said in the letter. The airline said its managing director, Rahul

Bhatia, will assume interim charge of operations until further arrangements are made. Bhatia's InterGlobe Enterprises is the largest shareholder in IndiGo's parent company, InterGlobe Aviation, holding a 35.69% stake as of December. Shares of IndiGo parent

InterGlobe Aviation closed 3.46% higher on Tuesday at ₹4,382.45 on the BSE.

Elbers had taken over as the airline's CEO in September 2022.

The airline has not announced a timeline for appointing a new CEO.

# Stabilisation fund doubled to ₹1 L crore

POST-COVID 19, THE Odisha government was the first to establish a budget stabilisation fund at the sub-national level to create fiscal buffers for challenging periods.

The state has already built a corpus of around ₹21,000 crore by diverting a share of surging mining revenues since FY23 and intends to eventually increase the corpus size to ₹50,000 crore to mitigate budget disruptions.

This was showcased as "best practices" to state finance secretaries at a CAG-organised conference in Delhi last year.

Just two months into 2026, the global economy faces renewed uncertainty. A chain of developments — including legal turmoil in US trade policy, revisions to India's economic statistics, and a sharp military escalation in the Gulf involving the US-Israel alliance and Iran since February 28 — has unsettled expectations of stability and heightened volatility across global markets.

In the supplementary demand for grants, ₹30,117 crore were provided for transfer to states to meet additional expenditure towards Grants-in-Aid-General under Rural Local Bodies Grants, Urban Local Bodies Grants, State Disaster Response Fund Grants, State Disaster Mitigation Fund Grants, etc.

Though the net cash outgo under the second supplementary demand for grants is pegged at a sizeable ₹2 lakh crore, this is likely to be offset to a large extent by expenditure savings across ministries, rating agency Ica said.

For instance, the Centre's revenue expenditure needs to expand by a steep 30% on-year during February-March 2026 to meet the FY26 RE, entailing an incremental amount of ₹2.3 lakh crore.

"Consequently, we do not expect a material fiscal slippage on this account," Ica's chief economist Aditi Nayyar said.

**Chhatrapati Shivaji Maharaj**  
International Airport, Mumbai  
1<sup>st</sup> floor, Terminal 1, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Santacruz (E), Mumbai - 400 099.

**INVITATION TO PARTICIPATE IN BIDDING PROCESS FOR NON-AERO CONCESSIONS AT CSMI AIRPORT**

Mumbai International Airport Limited ("MIAL") invites parties to participate in the competitive bidding process for **Passenger Services Concessions** at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport ("CSMIA"), Mumbai. Parties are requested to visit the website: (<https://csmia.adaniairports.com/> → Business → Tenders) to download the application form for purchase of RFP documents. Please check the website for the deadline for submission of Application.

**LT FOODS**  
NURTURING GOODNESS

CIN L74899DL1990PLC041790  
Regd. Off.: Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Centre, New Delhi-110017 Tel.: 011- 29565344  
Corp Off: 4th Floor, MVL- I Park, Sector-15, Gurugram-122001  
Tel: 0124-3055100, Email: [ir@ltgroup.in](mailto:ir@ltgroup.in) Website: [www.www.ltfoods.com](http://www.www.ltfoods.com)

## POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Sections 108 and 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, and as amended from time to time) and the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), MCA General Circular 03/2025 dated September 22, 2025 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and other relevant circulars in this regard (hereinafter collectively referred to as MCA Circulars) and pursuant to any other applicable laws and Regulations, the Company is seeking approval of the Members by way of Postal Ballot through voting by electronic means ("e-Voting") only, as detailed in the Notice of Postal Ballot dated February 26, 2026 for the following business(s):

- RE-APPOINTMENT OF MR. ABHIRAM SETH (DIN: 00176144) AS AN INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY.
- RE-APPOINTMENT OF MS. AMBIKA SHARMA (DIN: 08201798) AS AN INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY.
- APPOINTMENT OF MS. RIMA GUPTA (DIN: 00360408) AS AN INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY
- APPOINTMENT OF MR. ASHOK KUMAR ARORA (DIN: 02259429) AS A WHOLE-TIME DIRECTOR OF THE COMPANY
- ALTERATION OF THE OBJECT CLAUSE OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

The aforesaid Notice has been sent electronically on **Monday, March 09, 2026** only to those Members whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from National Securities Depositories Limited (NSDL) / Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and who have registered their e-mail addresses in respect of electronic holdings with NSDL / CDSL through the concerned Depository Participants and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd on Friday, March 6, 2026 (cut-off date). Further, as per MCA circular, the physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot and no physical ballot forms will be accepted.

The Postal Ballot Notice and the explanatory statement pursuant Sections 102 and 110 of the Act and as required under SS-2, setting out the material facts and the reason thereof along with the instructions and manner of e-Voting process is uploaded on the NSDL website at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or Company's website i.e. [www.ltfoods.com](http://www.ltfoods.com). The same is also available on the websites of BSE Ltd at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Members whose email addresses are not registered with the Company / Depository may follow the below process for registering or updating their email addresses:

- In case shares are held in physical mode, please provide Name, Folio No., Share Certificate number, PAN, mobile number and email address to our RTA i.e. M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd at [bsd@bigshareonline.com](mailto:bsd@bigshareonline.com)
- Members holding shares in electronic/demat mode, and who have not registered their email address may update the same with their Depository participants. However, Members may temporarily register the same with Company's RTA and link register the same with Company's RTA at aforesaid link b providing details such as Name, DP ID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), PAN, mobile number and email address

The Board has appointed Mr. Debasis Dixit, Proprietor of M/s. D Dixit & Associates, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the postal ballot e-voting process in a fair and transparent manner in accordance with the provisions of the Act and Rules.

As required under Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company has availed the electronic voting platform of NSDL, to provide e-Voting facility to its Members. The detailed procedure with respect to e-Voting is mentioned in the Notice.

The e-Voting shall commence on **Tuesday, March 10, 2026 at 09.00 A.M. (IST) and end on Wednesday, April 08, 2026 at 5.00 P.M. (IST) (both days inclusive)**. The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Accordingly, members will not be able to cast the vote thereafter. Subject to the receipt of the requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to have been passed on the last date of e-Voting i.e. April 8, 2026.

The Scrutinizer will submit his/her report to the Chairperson or to any other person authorised by him, after completion of scrutiny of the votes. The results of the e-voting by postal ballot (through e-Voting process) along with the Scrutinizer's report will be announced by the Chairperson or any other person authorised by him within two working days from the conclusion of the e-voting period i.e. on or before Friday, April 10, 2026.

The declared Results, along with the Scrutinizer's Report, will be available forthwith on the Company's website under the Investor Section on [www.ltfoods.com](http://www.ltfoods.com) and will also be forwarded to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and will also be displayed on the website of NSDL i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ)s for Members and e-Voting user manual for Members available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call 022-48867000 or send a request to (Ms. Pallavi Mhatre) at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

Place: Gurugram  
Date: 09.03.2026

By Order of the Board  
For **LT Foods Limited**  
Sd/-  
**Monika Chawla Jagjia**  
Company Secretary & Compliance Officer

**Kirloskar Pneumatic Company Limited**  
A Kirloskar Group Company  
Registered Office:  
Hadapsar Industrial Estate, Pune - 411013  
CIN: L29120PN1974PLC110307

## NOTICE

This Notice is published pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") and amendments thereof.

The Rules, *inter alia*, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years in the name of Investor Education and Protection Fund Authority Account ("IEPF Authority").

Complying with the requirements as set out in the rules, Kirloskar Pneumatic Company Limited (Company/KPCL) has communicated to the concerned shareholder(s) [who have not claimed their dividend for a period of seven consecutive years from the Financial Year 2018-19 in respect of Interim Dividend 2018-19] individually whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority under the said Rules for taking appropriate action. The complete details of the concerned shareholders whose dividends are unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due for transfer to IEPF Authority are being uploaded on the Company's website "[www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com)" under "Investors Section".

Notice is given to all such shareholders to make an application to the Company / Registrar and Share Transfer Agent (RTA) with a request duly signed by all holders with proper identification proofs for claiming the unclaimed dividend, so that the shares are not transferred to the IEPF Authority. It may please be noted that if no reply is received by the Company / RTA till March 30, 2026 in respect of Interim Dividend, the Company will be compelled to transfer the shares to the IEPF Authority without any further notice, at an appropriate date, as per the procedure set out in the said Rules. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount(s) and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

The shareholders may note that in the event of transfer of shares and the unclaimed dividends to IEPF, concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) and sending a physical copy of the same, duly signed to the company at its registered office along with requisite documents enumerated in Form IEPF-5 within prescribed time.

For further information / clarification / assistance, concerned shareholders may reach out to the RTA of the Company and / or the Company at below mentioned address:

<b>MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED</b> (Formerly Link Intime India Private Limited) Unit: Kirloskar Pneumatic Company Limited Akshay Complex, Block No. 202, 2 <sup>nd</sup> Floor, Near Ganesh Temple, Off. Dhole Patil Road, Pune 411001. Tel: +91 (020) 26161629 / +91 (020) 26163503 E-mail: <a href="mailto:rnt.helpdesk@in.mppms.mufg.com">rnt.helpdesk@in.mppms.mufg.com</a>	<b>KIRLOSKAR PNEUMATIC COMPANY LIMITED</b> Hadapsar Industrial Estate, Pune 411 013. Tel: +91 (020)-26727000 Fax: +91 (020)-26870297 Email: <a href="mailto:sec@kirloskar.com">sec@kirloskar.com</a>
--	--

For Kirloskar Pneumatic Company Limited

Place: Pune  
Date: March 10, 2026

Sd/-  
**Jitendra Shah**  
Company Secretary  
Tel: +91 20 26727000 Fax: +91 20 26870297  
Email: [sec@kirloskar.com](mailto:sec@kirloskar.com) Website: [www.kirloskarpneumatic.com](http://www.kirloskarpneumatic.com)

\*Mark bearing word "Kirloskar" in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Ltd. and Kirloskar Pneumatic Co. Ltd. is the Permitted User.

## पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों व डाकघरों को बम से उड़ाने की धमकी

जयपुर, 10 मार्च (भाषा)।

जयपुर में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला ई-मेल मिलने के बाद राजस्थान के कई शहरों में पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघरों की मंगलवार को गहन जांच की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों ने तुरंत जयपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद प्रोटोकाल के अनुसार जांच की गई। जयपुर में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट सेवा केंद्र, डाकघर परिसर में खालीत पासपोर्ट कार्यालयों व सेवा केंद्रों को खाली कराया गया और जांच की गई। हालांकि, जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्यालयों में प्रवेश तुरंत रोककर अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया। सुरक्षा टीमों ने कार्यालय परिसर के अंदर और आस-पास गहन निरीक्षण किया। अधिकारी ने बताया कि जांच उन डाकघरों में भी की गई जहां सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें बांसवाड़ा, बीकानेर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझरू और श्रीगंगानगर शामिल हैं। इससे पहले भी उच्च न्यायालय, निचली अदालतों और कई स्कूलों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जो बाद में झूठी साबित हुईं।

## सरकार ने 2.81 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यय के लिए मंजूरी मांगी

जयपुर, 10 मार्च।

सरकार ने मंगलवार को वार्षिक बजट में 2.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए लोकसभा की मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुदान की अनुसूची का दूसरा बैच लोकसभा में पेश किया। अनुदान की अनुसूची में कहा गया है, '2.81,289.26 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से शुद्ध नकदी व्यय से जुड़े प्रस्ताव कुल 2,01,142.96 करोड़ रुपए और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्ति/वसूली से भेद खाते सकल अतिरिक्त व्यय 80,145.71 करोड़ रुपए है।'

## करूर भगदड़ : टीवीके प्रमुख विजय को फिर तलब किया

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 10 मार्च।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेता और टीवीके प्रमुख विजय को करूर भगदड़ मामले में 15 मार्च को दोबारा तलब किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने जनवरी में विजय से दो बार पूछताछ की थी और नौ मार्च को अभिनेता को फिर से तलब किया था, लेकिन उन्होंने इसे 15 दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया था।

अधिकारियों ने बताया कि अभिनेता विजय ने आगामी विधानसभा चुनावों के कारण राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए यह भी आग्रह किया था कि पूछताछ चर्चनीय या तमिलनाडु के किसी कार्यालय में की जाए। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने अब विजय को 15 मार्च को दिल्ली स्थित



**अधिकारियों** ने बताया कि अभिनेता विजय ने आगामी विधानसभा चुनावों के कारण राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए यह भी आग्रह किया था कि पूछताछ चर्चनीय या तमिलनाडु के किसी कार्यालय में की जाए। सीबीआई ने अब विजय को 15 मार्च को दिल्ली स्थित एजेंसी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। एजेंसी ने करूर से द्रमुक विधायक सैथिल बालाजी को भी 17 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। राज्य के पूर्व मंत्री बालाजी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह 17 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होकर करूर भगदड़ त्रासदी के संबंध में अपना पक्ष रखना चाहते हैं।

एजेंसी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने करूर से द्रमुक विधायक सैथिल बालाजी को भी 17 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। राज्य के पूर्व मंत्री बालाजी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह 17 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होकर करूर भगदड़ त्रासदी के संबंध में अपना पक्ष रखना चाहते

हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एसआइटी से मामला अपने हाथ में ले लिया था, और वह 27 सितंबर, 2025 को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित मामले में सबूत जुटा रही है। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए।

## वर्ष 2025-26 में 43 नए मेडिकल कालेज बनाए गए

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 10 मार्च।

राज्यसभा में सरकार ने मंगलवार को बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए देश भर में 43 नए मेडिकल कालेज बनाए गए हैं। स्वास्थ्य राज्यसभा में सरकारी पटेल ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इसी शैक्षणिक वर्ष के लिए देश भर में 11,682 एमबीबीएस सीटों और 8,967 परास्नातक सीटों को मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि एनएमसी हर साल देश भर के मेडिकल कालेजों और संस्थानों से नए मेडिकल कालेज बनाने और स्नातक और परास्नातक सीटों को बढ़ाने के लिए आनलाइन आवेदन मंगवाती है। इसके अलावा, अनुमति पत्र (एलओपी) या अस्वीकृत पत्र (एलओडी) चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियमन, 2023, स्नातक पाठ्यक्रमों के

लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (यूजीएमएसआर), 2023, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (पीजीएमएसआर), 2023, और एनएमसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक मानदंडों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जांच और मूल्यांकन की जांच की जाती है। पटेल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल के साथ नए मेडिकल कालेज बनाने' के लिए एक केंद्र प्रयोजित योजना चलाता है।

इसमें उन इलाकों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कालेज नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए कोष केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।

## मामूली विवाद में चौकीदार को जिंदा जलाया

भदोही के पीपर गांव का मामला, आरोपी प्रधान पुत्र गिरफ्तार किया गया

भदोही, 10 मार्च (भाषा/एजेंसी)।

ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के पीपर गांव में सोमवार को मामूली विवाद के बाद ग्राम प्रधान के बेटे ने चौकीदार पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। 80 फीसद झुलस जाने के बाद चौकीदार 55 वर्षीय जैसलाल सरोज को गंभीर हालत में वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सोमवार सुबह पीपर गांव में चौकीदार जैसलाल सरोज गांव में लगे एक हंडपंप के खराब होने पर उसका पाइप बदलवाने के लिए प्रधान रामनाथ यादव के घर गया था। इस बीच वहां किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

इस पर मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान रामनाथ यादव का बेटा कमलेश यादव घर के अंदर गया और पेट्रोल लेकर आया। पहले उसने जैसलाल सरोज पर पेट्रोल छिड़ा और

अस्सी फीसद झुलस जाने के बाद चौकीदार

55 वर्षीय जैसलाल सरोज को गंभीर हालत में वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

**पुलिस** अधीक्षक ने बताया कि पुलिस शव के पोस्टमार्टम कराने सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई में जुटी है और क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर

द्वारा पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है।

भारी तनाव को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। सरोज के भाई बाबूलाल की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी में हत्या की धारा जोड़ दी गई है। इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा भी लगाई गई है।

उसके बाद आग लगा दी।

सरोज को जलता देख कुछ गांव वालों ने कंबल डालकर किसी तरह आग बुझाई और उसे तत्काल महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल, ज्ञानपुर पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मांगलिक ने बताया कि सरोज के भाई बाबूलाल की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी में हत्या की धारा जोड़ दी गई है।

इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा भी लगाई गई है।

मांगलिक ने कहा कि आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि भारी तनाव को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस शव के पोस्टमार्टम कराने सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई में जुटी है और क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर द्वारा पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है।



## दिवक्त

बरनर जिले की कुरंगा पंचायत में मंगलवार को महिलाएं कुएं से बर्तनों में पानी भर रही हैं। कई गांव वाले पानी के लिए इसी कुएं पर निर्भर हैं।

## कोर्ट ने 'एआइ' की मदद से तैयार याचिका खारिज की

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 10 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लुधियाना के एक कपड़ा व्यापारी द्वारा दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिका का मसविदा तैयार करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआइ) उपकरणों का उपयोग करने की बात रखी गई थी और वह उसमें प्रयुक्त जटिल कानूनी शब्दों की व्याख्या करने में असमर्थ था।

प्रधान न्यायाधीश सुर्यकांत ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा, 'जाओ, लुधियाना में 2-3 और स्वेटर बेचो, जिन लोगों का काम है ऐसी याचिका दायर करना, वो मुकदमा कर देंगे आपका जुमाना लगाव कर।' न्यायमूर्ति सुर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति आर महादेवन को पीठ को उस समय संदेह हुआ जब 12वीं कक्षा तक पढ़े कपड़ा व्यापारी रजनीश सिद्ध 'पीएम केयर फंड' से संबंधित अपनी याचिका पर बहस करने के लिए खड़े हुए। सिद्ध ने जैसे ही लिखित दलीलें पढ़नी शुरू कीं, प्रधान न्यायाधीश ने उनकी शैक्षणिक और अन्य पृष्ठभूमि पर सवाल किया। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने पहले कोई याचिका दायर नहीं की थी और वह सीधे शीर्ष अदालत में अपनी पहली याचिका दायर करने आया है, तो प्रधान न्यायाधीश ने व्यंग्यपूर्वक कहा, 'बड़ा बहादुरी का काम किया, सीधा लुधियाना से चलकर आ गए।'

## मोदी आज तिरुचिरापल्ली में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 10 मार्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। वह तमिलनाडु की अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा कि राज्य भर में राजग की बढ़ती लोकप्रियता से द्रविड़ मुनेत्र कषमम (द्रमुक) परेशान है।

तमिलनाडु के लोगों ने द्रमुक के कुशासन और अधूरे वादों को देखा है। यही कारण है कि वे राजग के आशा और प्रगति के एजेंडे से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने को मंजूरी दे दी।

मोदी ने कहा कि इससे विशेष रूप से दक्षिणी तमिलनाडु में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। शाश्वत संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध मदुरै शहर अब वैश्विक स्तर पर

तमिलनाडु के लोगों ने द्रमुक के कुशासन और अधूरे वादों को देखा है। यही कारण है कि वे राजग के आशा और प्रगति के एजेंडे से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने को मंजूरी दे दी। मोदी ने कहा कि इससे विशेष रूप से दक्षिणी तमिलनाडु में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

अपने संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचा, ग्रामीण कनेक्टिविटी, राजमार्ग विकास और रेलवे सेवाएं शामिल हैं। वह दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसंजर ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे तमिलनाडु की रेल कनेक्टिविटी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत समेत अन्य क्षेत्रों से और मजबूत होगी, जिससे यात्रियों को लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

**सार्वजनिक सूचना**

कंपनी सीक्रेटरी दिनेश कुमार के समक्ष सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) तथा सीमित देयता साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के संदर्भ में तथा क्राउनफील्ड इन्फ्रा एलएलपी के संबंध में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 31-32, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है।

एवंद्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि क्राउनफील्ड इन्फ्रा एलएलपी सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कंपनी के रजिस्ट्रार, दिल्ली के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति प्राप्त करने का निवेदन किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति के हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को पंजीकृत त्राक द्वारा अव्याप्त अपने हित की प्रकृति एवं आपत्ति के आधारों का उल्लेख करते हुए शपथपत्र सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है या प्रस्तुत कर सकता है।

उक्त आपत्ति की एक प्रति एलएलपी को उसके उत्तरदायित्व पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजना आवश्यक होगा।

क्राउनफील्ड इन्फ्रा एलएलपी की ओर से तथा उसके लिए हस्ताक्षरित/-

रजनी कान्त मिश्रा  
नामित मागीदार  
डिप्टीआईएन - 03116578  
स्थान : नई दिल्ली तिनांक 10.03.2026

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities.

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India.

**INTIMATION OF FILING OF THE PRE-FILED DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED MARCH 9, 2026 ("PRE-FILED DRAFT RED HERRING PROSPECTUS") OF SWARAJ GREEN POWER AND FUEL LIMITED ("COMPANY") UNDER CHAPTER IIA OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS") WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") AND BSE LIMITED AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (COLLECTIVELY, THE "STOCK EXCHANGES") IN RELATION TO THE PROPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF ITS EQUITY SHARES BEARING FACE VALUE OF ₹10 EACH (THE "EQUITY SHARES") ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES**

**PUBLIC ANNOUNCEMENT**

**SWARAJ**

**SWARAJ GREEN POWER AND FUEL LIMITED**

Registered and Corporate Office: Gat No. 332 B/2, Upalave, Phaltan, Satara - 415253, Maharashtra, India.  
Contact Person: Lalit Ashok Kame, Company Secretary and Compliance Officer; Email: investors@swarajindia.co.in;  
Tel: (+91) 7378722722; Website: www.swarajindia.co.in; Corporate Identification Number: U01409PN2010PLC137013

This public announcement is being made pursuant to Regulation 59C(5) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company has filed the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus with SEBI and the Stock Exchanges, under Chapter IIA of the SEBI ICDR Regulations in relation to the proposed initial public offering of its equity shares on the main board of the Stock Exchanges. The filing of the Pre-filed Draft Red Herring Prospectus shall not necessarily mean that the Company will undertake the initial public offering.

This public announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The securities described in this public announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. No public offering of securities in the United States is contemplated. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

For Swaraj Green Power and Fuel Limited  
On behalf of the Board of Directors

Sd/-  
Lalit Ashok Kame  
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Phaltan, Maharashtra  
Date: March 10, 2026

**LT FOODS**  
NURTURING GOODNESS

CIN L74899DL1990PLC041790

**पंजीकृत कार्यालय:-** यूनिट संख्या 134, पहली मंजिल, रेक्टंगल-1, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110017 दूरभाष: 011-29565344

**कॉर्पोरेट कार्यालय:** चौथी मंजिल, MVL-1 पार्क, सेक्टर-15, गुरुग्राम-122001, दूरभाष: 0124-3055100, ईमेल: ir@tggroup.in, वेबसाइट: www.ltfoods.com

**पोस्टल बैलेट नोटिस/डाक मतदान सूचना**

यह नोटिस 26 फरवरी, 2026 के पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित कार्य (कार्यों) के संपादन के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 एवं 110 और अन्य सभी लागू नियमों के साथ पठित कंपनी (स्वयं एवं प्रशासन) विनियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और नियम 22, भारतीय स्टिकोरेटिज एवं प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक घोषणा) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन्स") के रेगुलेशन 44 (किसी भी कानूनी बदलाव या वर्तमान या भविष्य कानून द्वारा लागू करने के साथ-साथ समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार) और आम वेदक के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("एसएस-2") के सेक्रेटरीजल स्टैंडर्ड, 22 सितंबर, 2025 के एमसीए सामान्य सर्वलूज 03/2025 और 3 अक्टूबर, 2024 को जारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के सेबी सर्वलूज नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-फैओडी2/पी/सीआईआर/2024/133 और संबंधित अन्य सर्वलूजें ("अंगे सामूहिक रूप से एमसीए सर्वलूज कहा जाएगा") के तहत जारी और किसी भी अन्य प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार कम्पनी द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") से मतदान के लिए पोस्टल बैलेट हेतु सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए है।

- श्री अभिलष सेठ (डीआईएन: 00178144) की कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक पद पर पुनः नियुक्ति।
- सुशी अशिका शर्मा (डीआईएन: 08201788) की कम्पनी की स्वतंत्र निदेशक पद पर पुनः नियुक्ति।
- सुशी शैमा गुप्ता (डीआईएन: 00360408) की कम्पनी की स्वतंत्र निदेशक पद पर पुनः नियुक्ति।
- श्री अशोक कुमार खरीड़ा (डीआईएन: 02259429) की कम्पनी के पूर्णाकालिक निदेशक पद पर नियुक्ति।
- कम्पनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन।

यह नोटिस **सोमवार, 09 मार्च, 2026** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सिर्फ छह सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनके नाम नेशनल स्टिकोरेटिज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर / लामार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं और जिन्होंने शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 (कट-ऑफ डेट) तक एनएसडीएल / सीडीएसएल में अपने इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने ई-मेल पते और फिजिकल होल्डिंग्स के संबंध में कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) यानी मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास अपने ई-मेल पते दर्ज किए हैं। इसके अतिरिक्त एमसीए सर्वलूज के अनुसार मेसर्स को पोस्टल बैलेट के लिए नोटिस की फिजिकल कॉपी, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-भेड विजनेस रिप्लाइ लिफाफा नहीं भेजा जाएगा और कोई भी फिजिकल बैलेट फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डाक मतदान सूचना और कसित अधिनियम की धारा 102 और 110 के अनुसार और एसएस-2 के तहत जरूरी जानकारी, जिनमें वास्तविक तथ्यों और उनके कारण दर्ज करने के साथ-साथ ई-वोटिंग प्रक्रिया के निर्देश और प्रक्रियाएं शामिल हैं एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) या कम्पनी की वेबसाइट [www.ltfoods.com](http://www.ltfoods.com) पर उपलब्ध की गई हैं। वे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्य जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर नहीं हैं, नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने ईमेल पते रजिस्टर या अपडेट कर सकते हैं -

- यदि शेयर फिजिकल रूप में रखे हैं, तो कृपया हमारे आरटीए अथवा मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को [bsdl@n1.bd@bigshareonline.com](mailto:bsdl@n1.bd@bigshareonline.com) पर अपना नाम, फोसियो नंबर, शेयर प्रमाणपत्र संख्या, पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल पता भेज दें।
- सदस्य जिनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम / डीमेट में रखे हैं और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ यह अपडेट कर सकते हैं। हालांकि ऐसे सदस्य अस्थायी रूप से कम्पनी के आरटीए के सीएलआईडी लिंक पर भी यह रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सभी किरण जैसे नाम, डीपी आईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईआईडी + सीएलआईआईडी) या 16 अंकों की लामार्थी आईडी, पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल पते देने होंगे।

बोर्ड ने मेसर्स डी डीकेएस एंड एसोसिएट्स के प्रोप्रराइटर, प्रिवेटरिज कंपनी सेक्रेटरीज को इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी डाक मतदान ई-वोटिंग के लिए स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है।

कम्पनी ने सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 44 के तहत अपने मेसर्स को ई-वोटिंग की सुविधा देने के लिए एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। ई-वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी नोटिस में दी गई है।

ई-वोटिंग मंगलवार, 10 मार्च, 2026 प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी और बुधवार, 08 अप्रैल, 2026 शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी (दोनों दिन शामिल)। रातपरात वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। इसलिए कोई सदस्य इसके बाद वोट नहीं दे पाएंगे।

आवश्यक वोट मिल जाने की स्थिति में ई-वोटिंग की अंतिम तिथि यानी 8 अप्रैल, 2026 को प्रस्ताव चारित माने जाएंगे।

स्क्रूटिनाइज़र वोटों की जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट वेबवेबसाइट या उनके अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को देंगे।

ई-वोटिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद दो कार्य दिवसों के अंदर यानी शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026 या उससे पहले वेबवेबसाइट या उनका अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति डाक मतदान से ई-वोटिंग (ई-वोटिंग प्रक्रिया से) के परिणामों के साथ स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट की घोषणा करेंगे।

घोषित किए गए परिणामों के साथ-साथ स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.ltfoods.com](http://www.ltfoods.com) पर निवेशक अनुभाग में तुरंत उपलब्ध होंगे और कम्पनी के शेयर लिज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है यानी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) को भी कोरडॉट किए जाएंगे और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी प्रकाशित किए जाएंगे।

यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड सेंटर में मेसर्स के लिए उपलब्ध अक्षर पृष्ठ वाले ब्रश (एफएक्यू) और मेसर्स के लिए ई-वोटिंग नंबर मैन्युअल देख सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या (सुश्री पल्लवी शर्मा) को [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।

**स्थान - गुरुग्राम तिनांक - 09.03.2026**

बोर्ड के आदेशानुसार  
कृते एलटी फूड्स लिमिटेड  
हरवा / -  
मौनिका चावला जगिया  
कम्पनी सचिव एवं अच्युतल अधिकारी